



5. उपस्थिति नियम (Attendance Rules)

- विश्वविद्यालय के समस्त नियमित पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट विद्यार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रतिवर्ष आयोजित कुल कालांशों (जिनमें ट्यूटोरियल्स तथा प्रायोगिक कालांश सम्मिलित हैं) की कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
- प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के वर्तमान उपस्थिति नियमों एवं उनमें समय-समय पर किए गए रूपान्तरणों एवं परिवर्तनों से आबद्ध होगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उपस्थिति के बारे में स्वयं सम्बन्धित प्राध्यापकों से जानकारी प्राप्त करेगा एवं अपने प्रत्येक विषय के प्रश्न-पत्र के अनुसार उपस्थिति का विवरण रखेगा। यह जिम्मेदारी विद्यार्थी की स्वयं की होगी।
- जो छात्र संस्थान/विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अनुमत सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों, जैसे खेल-कूद, गणतंत्र दिवस परेड, शैक्षणिक यात्रा आदि में प्रतिनिधित्व करने के लिए महाविद्यालय/जिला स्तर पर भेजे गए उन्हें उपर्युक्त गतिविधियों के कारण अनुपस्थिति के समय में कक्षा में दिए गए व्याख्यान के बराबर उपस्थिति का लाभ दिया जाएगा, इसमें यात्रा के दिन भी सम्मिलित किए जाएँगे परन्तु यह सुविधा एक शैक्षणिक वर्ष की कुल अवधि में अधिकतम 15 अनुपस्थिति के दिनों के लिए ही दी जाएगी। उपस्थिति के संदर्भ में उपर्युक्त छूट के अतिरिक्त और कोई भी छूट नहीं दी जाएगी।
- जो विद्यार्थी अपेक्षित उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है उस विद्यार्थी का नाम सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालय अधिष्ठाता द्वारा छात्रा एवं उसके माता/पिता को सूचित किया जाएगा। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जो परीक्षार्थी उपर्युक्त अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति पूरी नहीं कर पाता है, उसे विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिया जाएगा।
- ऐसे विद्यार्थी जिन्हें अपेक्षित उपस्थिति की कमी के कारण उन पाठ्यक्रमों में नियमित विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया है, जिनमें स्वयंपाठी (Non-collegiate) परीक्षार्थी के बैठने का विधान है, उन विद्यार्थियों को उसी वर्ष, स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि वे इसके लिए लिखित आवेदन करें और शेष आवश्यक शुल्क का भुगतान कर दें।